

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान रामस्वरूप बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 85/2025

निर्णय दिनांक ...9/06/25...

रामस्वरूप पुत्र बदरु राम जाति मेघवाल निवासी भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भलाउ ताल पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 50 खसरा सं. 354 तादादी 2.1497, खसरा सं. 363 तादादी 0.1770, खसरा सं. 364 तादादी 0.0379, व खसरा सं. 365 तादादी 6.4616 हैक्ट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा भलाउ ताल पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र बदरु राम की जगह रामस्वरूप पुत्र बिड़दा गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड में सही नाम रामस्वरूप पुत्र बदरु राम है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबंदी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा भलाउ ताल पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर के खाता खाता संख्या 50 खसरा सं. 354 तादादी 2.1497, खसरा सं. 363 तादादी 0.1770, खसरा सं. 364 तादादी 0.0379, व खसरा सं. 365 तादादी 6.4616 हैक्ट में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र बदरु राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र बदरु राम व रामस्वरूप पुत्र बिड़दा दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार में प्रार्थी के पिता नाम बदरु राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बिड़दा अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भलाउ ताल पटवार हल्का भलाउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 50 खसरा सं. 354 तादादी 2.1497, खसरा सं. 363 तादादी 0.1770, खसरा सं. 364 तादादी 0.0379, व खसरा सं. 365 तादादी 6.4616 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम बिड़दा Delete कर इसके स्थान पर बदरु राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...9/06/25... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)